न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—405/2015/86 (2015/00109)

1. जयसिंह,
2. आशासिंह,

पुत्रगण लाला, जाति रावत, निवासी ग्राम बडल्या, तह0 व जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर ।
2. सरकार जरिये सचिव नगर सुधार न्यास (अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर) ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

अप्रार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 86 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0दी0 बनाराजगी आदेश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर दिनांक 11.8.2015 .

उपस्थितः—

1. श्री मदनसिंह रावत, वकील प्रार्थीगण ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3.
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—08.10.2018

1. प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायायलय हाजा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 61/2013/75 उनवान जयसिंह बनाम सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 11.8. 2015 के विरूद्ध धारा 86 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत की है ।
2. नजरसानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।
3. विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाके मौजा बडल्या तहसील व जिला अजमेमर पर

प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त होने के कारण अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर ने आदेश क्रमांक 119/76 दिनांक 16.1.1976 को विवादित भूमि का नियमन किया था । विवादित आराजी नियमन के बाद प्रार्थीगण के नाम चौसाला जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद हो गया था तब से प्रार्थीगण ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 25.2.2004 के द्वारा ग्राम बडल्या की सिवायचक भूमि 445 बीघा 15 बिस्वा राज्य सरकार के राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या (124)र/4/83/30 दिनांक 18.11.1983 एवं राजस्व ग्रुप–6/2001 दिनांक 23.2.2001 के अनुसरण में ग्राम बडल्या की सिवायचक भूमियों को नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दिनांक 25.2.2004 को हस्तांतरित कर दी जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को भी गलती से नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम हस्तातंरण कर दिया । विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में आगे नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित की गई भूमि की सूचियों का अवलोकन कराते हुए अवगत कराया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी उक्त सूची में सम्मिलित नहीं होकर खसरा नंबर 2270 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म बरड़ा सम्मिलित है किन्तु सहवन से खसरा नंबर 2270 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा के स्थान पर खसरा नंबर 2170 5 बीघा 5 बिस्वा अंकित कर दिया गया जबकि खसरा नंबर 2170 का रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी ही है तथा खसरा नंबर 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी जयसिंह व आशासिंह पि0 लाला के नाम जरिये नियमन राजस्व रिकार्ड में अंकित है । प्रार्थीगण ने उक्त समस्त तथ्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किये थे किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो नजरसानी के माध्यम से निरस्त योग्य होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.8.2015 अपास्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है । हस्तातंरण आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम नामांतकरण भी स्वीकृत हो चुका है । न्यायालय हाजा ने समस्त तथ्यों की जांच कर विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस की अपील खारिज की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से हस्तातंरित की है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर के खसरा संख्या 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी का पुराने कब्जे काश्त के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर ने आदेश क्रमांक 119/76 दिनांक 16.1.1976 को प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन आदेश पारित किये थे । उक्त आदेश की पालना में विवादित आराजी खसरा नंबर 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी चौसाला जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है ।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक 19 दिनांक 25.2.2004 के द्वारा अन्य ग्राम की सिवायचक भूमियों के साथ ग्राम बडल्या की सिवायचक भूमिया कुल किता 190 रकबा 445 बीघा 15 बिस्वा का हस्तातंरण नगर सुधार न्यास, अजमेर को किया है । उक्त आदेश के साथ ग्राम बडल्या के खसरा नंबरान की सूची में खसरा नंबर 2170 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का अंकन है जबकि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 2170 का रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी है तथा यह खसरा नंबर 2170 प्रार्थीगण को अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 16.1.1976 को पुराने कब्जे काश्त के आधार पर नियमन किया गया था एवं खसरा नंबर 2270 जो कि राजस्व रिकार्ड सिवायचक दर्ज होकर इसका रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा अंकित है । पटवारी हल्का बडल्या द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को ग्राम बडल्या के सिवायचक खसरा नंबरों की भेजी गई सूची में भी खसरा नंबर 2270 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा अंकित है न कि खसरा नंबर 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी । उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भली भांति स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 नगर सुधार न्यास को ग्राम बडल्या के सिवायचक खसरा नंबरान का हस्तातंरण करते समय सिवायचक खसरा नंबर 2270 के स्थान पर खसरा नंबर 2170 का अंकन हो गया है किन्तु रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा ही अंकित है जबकि खसरा नंबर 2170 का रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा न होकर 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी है।

8. न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा ने पूर्व में अपीलांट की अपील इस आधार पर खारिज की है कि अपीलांट ने विवादित आराजी पर कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । इस संबंध में नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पटवारी हल्का बडल्या ने तहसीलदार, अजमेर को दिनांकदिनांक 5.2.2016 में अंकित किया है कि ग्राम बडल्या के साबिक खसरा नंबर 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी के नये खसरा नंबर 2272 रकबा 0.02 है0 एवं खसरा नंबर 22273 रकबा 0.'04 है0 बने है तथा उक्त खसरा नंबर हाल जमाबंदी संवत् 2069 से 2073 में नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम अंकित है किन्तु उक्त खसरा नंबरान पर प्रार्थीगण जयसिंह व आशासिंह पुत्रान लाला, कौम रावत का कब्जा है । मौके पर दोनों खसरा नंबरान के चारो तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है । पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है । कब्जे के संबंध में उक्त तथ्य अपील के निस्तारण के समय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए थे किन्तु वर्तमान में दस्तोवजी साक्ष्यों से विवादित भूमि प्रार्थीगण को नियमन होना तथा नियमन उपरांत विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना साबित है तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी साबित है कि सिवायचक भूमि खसरा नंबर 2270 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा के बजाय सहवन से खसरा नंब 2170 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का अंकन हो गया है जबकि खसरा नंबर 2170 का रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी है तथा उक्त आराजी प्रार्थीगण को नियमन की गई थी जिसका जमाबंदी में अंकन होकर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 61/2013/75 उनवान जयसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.8.2015 अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम बडल्या के खसरा नंबर 2170 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी की हद तक विद्वान जिला कल्क्टर, अजमेर का आदेश क्रमांक राजस्व एफ–12(सी)/04/3711/19 दिनांक 25.2.2004 निरस्त किया जाता है

तथा ग्राम बडल्या के खसरा नंबर 2270 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा को नगर सुधार न्यास, अजमेर हाल अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर